2019/005539

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 106/2019

1 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भगवाना।
2 महेन्द्र सिंह पुत्र भगवाना।
3 रिशाल देवी पत्नी महेन्द्र सिंह।
4 लाली देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम बड़वर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बुद्वराम पुत्र प्रभातीलाल।
2 लोकचन्द पुत्र प्रभातीलाल।
3 ताराचन्द पुत्र प्रभातीलाल समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम बड़वर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
4 कान्ता पुत्री भववाना पत्नी जयपाल जाति अहीर निवासी उड़ीया कलां तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
5 विमला पुत्री भगवाना पत्नी हरपाल जाति अहीर निवासी बिरणवास तहसील बहरोड़ जिला अलवर।
6 सुरेश पुत्री भवगाना पत्नी ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी सुलताना अहीरान तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7 बैंक ऑफ राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
8 राजस्थान सरकार जरिये भू–स्वामी तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 उप पंजियक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड
अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला
झुंझुनू दावा उनवानी बुद्वराम वगैरह बनाम श्रीमती
मुन्नी देवी वगैरह दावा बाबत खाता विभाजन व
स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 56/2016 निर्णय व
प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.11.2019

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जितेन्द्र कुमार निर्मल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 09.11.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 106/2019 में पारित निर्णय दिनांक 05.11. 2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 से 9 व स्व. श्रीमती मुन्नी देवी के विरूद्व जमीन खसरा नम्बर 683 व खसरा नम्बर 684 कुल रकबा 12.08 हैक्टेयर सरहद मौजा बड़बर तहत तहसील बुहाना के बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया। उक्त दावा मं स्व. श्रीमती मन्नी देवी व अपीलांटस संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया और काउन्टर क्लेम पेश किया। अदालत मातहत ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के दावा को दिनांक 05.11.2019 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री पारित की। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट संख्या 2 व 3 जो वसियत के अनुसार उत्तराधिकारी

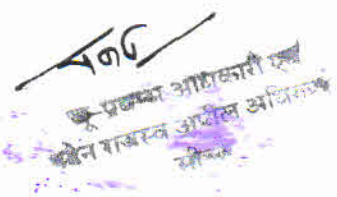

है। उनको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। विधि अनुसार राजस्थान राज्य में वसियत का प्रोबेट लेने की कोई विधिक आवश्यकता नही है। अत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। प्रकरण विचारण न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर पुन निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा किसी न्यायालय में स्वंय को स्व. मुन्नी देवी का वसियत के आधार पर प्रोबेट या उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मुन्नी देवी के कानूनी वारिसान नही है। राजस्व न्यायालय वसियत के आधार पर वारिसान तय नही कर सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री को विधि सम्मत घोषित करते हुये प्रकरण विचारण न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में अपीलांट संख्या 2 व 3 जो वसियत के अनुसार उत्तराधिकारी है। उनको सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया है। विधि अनुसार राजस्थान राज्य में वसियत का प्रोबेट लेने की कोई विधिक आवश्यकता नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.2019 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रषित किया जाता है कि अपीलांट संख्या 3 व 4 को मुलवाद में मुन्नी देवी के स्थान पर पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.12.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर